

## रिपोर्ट योग्य

माननीय उच्चतम न्यायालय

सिविल अपील न्यायाधिकरण

सिविल अपील संख्या 7545-7546 वर्ष 2009

दिलीप मणि दुबे

.....अपीलार्थीगण

बनाम

मेसर्स एस.आई.ई.एल. लि. एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

### निर्णय

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति

1. ये अपीले सी.एम.डब्ल्यू पी. संख्या-4435 वर्ष 1999 तथा सी.एम. पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या-1098 वर्ष 2008 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः 29.11.2007 तथा 05.02.2008 को दिये गये अंतिम निर्णय तथा आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई हैं जिनके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा दाखिल की गई याचिका को स्वीकृत किया है तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल पुनर्विलोकन याचिका को खारिज किया है।

2. इन अपीलों के निपटारे हेतु निम्नांकित कुछ तथ्यों का उल्लेख आवश्यक है।

3. उत्तर-प्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम (आगे से "द आई.डी. एक्ट" के रूप में संदर्भित) की धारा-10 के अन्तर्गत, औद्योगिक अधिकरण मेरठ के समक्ष किये गये संदर्भ के अनुसरण में, औद्योगिक अधिकरण ने प्रतिवादी संख्या-1 (नियोजक) के द्वारा जारी अपीलार्थी (कर्मकार) के पर्यवसन-आदेश की वैधता एवं सत्यता सुनिश्चित करने हेतु अपीलार्थी के हित में निर्णय संगलग्नक पी-8 दिनांकित 27.6.1998 के द्वारा इस संदर्भ का उत्तर दिया है एवं न्यायनिर्णयन वाद संख्या-137 वर्ष 1995 में पिछले वेतन के भुगतान सहित उसकी सेवा बहाल की है।

4. प्रतिवादी संख्या-1(नियोजक) व्यथित हुए एवं उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।

5. 29.11.2007 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के द्वारा इस रिट याचिका को स्वीकृत किया तथा प्रतिवादी संख्या-1 के हित में इस संदर्भ का उत्तर देते हुए औद्योगिक अधिकरण के निर्णय को अपास्त किया।

---

### उद्घोषणा

'क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा'।

6. उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की जिसको उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 5.2.2008 के माध्यम से खारिज किया गया।
7. यह, उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका एवं पुनर्विलोकन याचिका में दिये गये आदेशों के विरुद्ध है, अपीलार्थी (कर्मकार) व्यथित हुआ तथा विशेष आज्ञा के माध्यम से इस न्यायालय में ये याचिकायें दायर की हैं।
8. इसलिए, लघु प्रश्न जो इन अपीलों में विचारार्थ है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को स्वीकार करना तथा औद्योगिक अधिकरण के निर्णय को अपास्त करना न्यायोचित था।
9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवव्रत, प्रतिवादी संख्या-1 के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री देबल बनर्जी तथा प्रतिवादी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीश कुमार मिश्रा को सुना गया।
10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा इस वाद के अभिलेख का अध्ययन करने के पश्चात हमने इन याचिकाओं में कोई गुणागुण नहीं पाया।
11. मुख्य प्रश्न जो औद्योगिक अधिकरण एवं उच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ है कि क्या अपीलार्थी(कर्मकार) प्रतिवादी संख्या-1(नियोजक) की एक वर्ष की निरन्तर सेवा में था जैसा कि उ. प्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-एन के अंतर्गत उपबंधित है।
12. यद्यपि, औद्योगिक अधिकरण ने इस प्रश्न का उत्तर अपीलार्थी के पक्ष में दिया है, परन्तु इसी को उच्च न्यायालय ने उलट दिया एवं उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या-1 (नियोजक) के पक्ष में उत्तर दिया।
13. हमारी राय में, इस प्रकार के प्रश्न पर निष्कर्ष, तथ्य का निष्कर्ष होने के कारण यह न्यायालय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य का अनुशीलन करते हुए नये सिरे से परीक्षण नहीं कर सकती है। हमारी दृष्टि में उच्च न्यायालय ने मामले का विस्तार से परीक्षण किया तथा इस प्रश्न पर न्यायालय का निष्कर्ष, तथ्य का निष्कर्ष होने के कारण इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी है।
14. श्रीराम इंडस्ट्रीज इंटरप्राइजेज लि. बनाम महक सिंह एवं अन्य 2007(4) एस.सी. सी. 94 में दिये निर्णय पर निर्भर रहते हुए तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्राविधान का संदर्भ देते हुए अपीलार्थी (कर्मकार) के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा मुद्दों का उचित रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

---

#### उद्घोषणा

‘क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा’।

15. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रथमशः उच्च न्यायालय ने इस वाद के तथ्यों का अनुशीलन करने में त्रुटि की है जिसे यह अपने सीमित न्यायाधिकार के कारण नहीं कर सकता था, और दूसरा, **श्रीराम इंडस्ट्रीज लि. के वाद** में स्थापित विधि को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के निर्णय को, जो सही और उचित है, को बनाये रखना चाहिए था।

16. हम इस निवेदन से सहमत नहीं हैं। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने, हालांकि तथ्यात्मक सॉचे पर ध्यान दिया तथा दोनों पक्षकारों द्वारा वाद की स्थापना के संदर्भ में मुद्दे का इसके उचित दृष्टिकोण में परीक्षण किया है फिर भी सही निर्णय पर पहुँची है कि अपीलार्थी(कर्मकार) ने प्रतिवादी संख्या-1(नियोजक) के यहाँ एक वर्ष तक निरन्तर कार्य नहीं किया है।

17. अब हम संविधान के अनुच्छेद-136 के अंतर्गत अपने अपीली न्यायाधिकार के तहत इस प्रश्न का नये सिरे से पुनः परीक्षण नहीं कर सकते। वो भी तब जब हमने पाया कि इस प्रश्न पर निष्कर्ष न तो पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के विरुद्ध है न ही किसी कानून के प्राविधान के विरुद्ध है और न ही ये विकृत है।

18. जहां तक **श्रीराम इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड** (उपरोक्त) में निर्णय का प्रश्न है, जिस पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता निर्भर है, वह, हमारे विचार में तथ्यों पर भिन्न है। अतः हमारे पास आक्षेपित आदेश को अपास्त करने के लिए इस निर्णय पर निर्भर होने का कोई आधार नहीं है।

19. हम, फिर भी, पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने औद्योगिक अधिकरण के अधिनिर्णय को अपास्त करने के बावजूद, यह उचित रूप से निर्देशित किया है कि जो भी राशि प्रार्थी (कर्मकार) को प्रतिवादी नं0-1 (नियोजक) के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-B के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुसरण में मुकदमा लम्बित रहने के दौरान अदा की गयी है, उसे प्रार्थी से आक्षेपित आदेश के आधार पर वसूला नहीं जायेगा। प्रतिवादी नं0-1 (नियोजक) के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह कीमत अत्यधिक है एवं 2 लाख रुपये से ज्यादा है। जैसा हो सकता है वैसा रहने दें।

20. हमारे विचार में उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी नं0-1 (नियोजक) के विरुद्ध जारी यह निर्देश, इस न्यायालय द्वारा इस निमित्त स्थापित कानून के अनुपालन में है।

21. वास्तव में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-B के अन्तर्गत कार्यवाहियां स्वतन्त्र प्रकृति की है एवं मुख्य कार्यवाहियों में पारित अन्तिम आदेश पर निर्भर नहीं है।

---

#### उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

22. यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यदि न्यायालय/अधिकरण, कर्मकार के विरुद्ध पारित पर्यवसान आदेश को विधिक ठहराता है, तथापि नियोजक के पास यह अधिकार न होगा कि जो राशि उसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-B के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुसरण में कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान कर्मकार को अदा की जा चुकी है, वह उसकी वसूली कर सके। {देखें— देना बैंक बनाम कीर्ति कुमार टी0 पटेल, (1999) 2 SCC 106, देना बैंक बनाम घनश्याम, (2001) 5 SCC 169 और राजेश्वर महतो बनाम आलोक कुमार गुप्ता (2018) 4 SCC 341}।

23. अतः प्रार्थी को ऐसे आदेश से यह संतुष्टि होनी चाहिए कि यद्यपि वह मामला हार गया तथापि उसने मुकदमा लम्बित रहने के दौरान अत्यधिक राशि प्राप्त की, जिस पर प्रतिवादी संख्या-1 (नियोजक) के द्वारा अपील में उचित प्रकार से आपत्ति दर्ज नहीं की गयी।

24. पूर्ववर्ती बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें इन अपीलों में कोई गुणागुण दर्शित नहीं होता है अतः यह अपीलें अपर्याप्त होने के कारण खारिज की जाती है।

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति  
दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति

नई दिल्ली;  
मार्च 12, 2019

---

#### उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।